HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 8084/2025

Lalita Devi W/o Satyanarayan, R/o Dabar, Bamanwas, District Sawai Madhopur, Rajasthan.

----Accused-Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

2. Bheem Singh Gurjar S/o Damodar, R/o Aakodiya, Bamanwas, Sawai Madhopur, Rajasthan.

----Respondent/Complainant

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 6805/2025

Bheem Singh Gurjar S/o Girraj Gurjar, Aged About 35 Years, R/o Gurjar Basti, Village Gudla, Tehsil Bamanwas, District Sawai Madhopur.

----Accused-Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

2. Bheem Singh Gurjar S/o Damodar, R/o Aakodiya, Bamanwas, Sawai Madhopur, Rajasthan.

----Respondent/Complainant

For Petitioner(s)	: Mr. Ravindra Kumar Paliwal, Adv.
For Respondent(s)	: Mr. Vijay Singh Yadav, Addl. GA With Mr. Gaurav Gupta, Asst. GA
For Complainant(s)	: Mr. Rajneesh Gupta, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

26/02/2026

IN S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 8084/2025

1 याची–अभियुक्ता की ओर से उक्त एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका अंतर्गत धारा **528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** में दर्ज प्रथम सूचना

रिपोर्ट संख्या– **172/2025** पुलिस थाना– **बामनवास,** जिला– **सवाई माधोपुर**, अपराध अंतर्गत धारा **318(4), 316(2) भारतीय न्याय संहिता** को रद्द एवं अपास्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है, साथ ही **स्थगन प्रार्थना पत्र** प्रस्तुत किया गया है।

2 दो सप्ताह की वापसी के साथ अयाचीगण को नोटिस जारी किए जावें, विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता अयाची संख्या–01 की ओर से नोटिस स्वीकार करते है तथा विद्वान अधिवक्ता परिवादी अयाची संख्या–02 की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं।

3 विद्वान् अधिवक्ता याची–अभियुक्ता का तर्क है कि प्रस्तुत मामले में याची–अभियुक्ता निर्दोष है, उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 172/2025 में मिथ्या संलिप्त किया गया है, उनका कथन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों से उसका पूर्णतया संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का होकर, दीवानी प्रकृति का होना प्रकट होता है, उनका यह भी कथन है कि परिवादी ने उक्त संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद भी याची–अभियुक्ता एवं अन्य के विरुद्ध संबंधित अधिकारिता वाले न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है, जो विचाराधीन है, उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में सह–अभियुक्त भीमसिंह गुर्जर को समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 10–11–2025 को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की हुई है, याची–अभियुक्ता महिला है एवं वह अन्वेषण में भाग लेने के लिए तैयार एवं तत्पर है, किन्तु पुलिस उसे जबरन गिरफ्तार करने पर आमादा है, अतः याची–अभियुक्ता को उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जावे।

4 विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने संयुक्त रूप से अंतरिम सुरक्षा प्रदान किए जाने की प्रार्थना का, विरोध करते हुए कथन किया कि प्रकरण में याची–अभियुक्ता द्वारा परिवादी को विक्रय की गई भूमि को अन्य को जान–बूझकर विक्रय किया गया है, जो उसकी बदनियती को दर्शित करता है, अतः याची–अभियुक्ता की अंतरिम सुरक्षा प्रदान किए जाने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जावे।

5 मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

6 हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों आदि को दृष्टिगत रखते हुए याची–अभियुक्ता को न्यायहित में आदेश दिया जाता है कि यदि वह दिनांक **09.03.2026** को या उससे पूर्व अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में भाग ले तो उसके विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **172/2025** के संदर्भ में आगामी तिथि तक कोई बलपूर्वक कार्यवाही (**No Coercive Action**) नहीं की जावे, याची–अभियुक्त के उक्त तिथि तक अनुसंधान हेतु उपस्थित नहीं होने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

7 अनुसंधान अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान कर आगामी तिथि पर प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे।

8 प्रकरण दिनांक **18.03.2026** को सूचीबद्ध किया जावे।

IN S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 6805/2025

इस प्रकरण के साथ एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या 8084/2025 संलग्न की जावे।

(BHUWAN GOYAL),J

RAHUL KUMAR KHANDELWAL /29-30